बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना–23, बिहार। ✉–scps-bih@gov.in; ☎–0612 2545033

पत्रांक–02 / रा0बा0सं0स0 (स्थापना)–41 / 2014–अंश–2– 970

प्रेषक,

राज कुमार, भा0प्र0से0,
निदेशक, समाज कल्याण–सह–
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक–23.10.19

विषयः– **समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है। अधोहस्ताक्षरी का दूरभाष सं0–0612–2545033 एवं मोबाईल नं0–9471000437 है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों, एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक प्रमुख उर्दु समाचार पत्र में दिनांक–25.10.2019 को प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

सूचना प्रकाशन से संबंधित व्यय का वहन राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाएगा।

अनुः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

निदेशक, समाज कल्याण–सह–
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

ज्ञापांक– 970 पटना, दिनांक– 23.10.19

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को विभागीय वेब–साईट पर दस्तावेज अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, समाज कल्याण–सह–
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना–800023, बिहार।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन

राज्य बाल संरक्षण समिति *(SCPS) अंतर्गत पटना, बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वासान हेतु केन्द्र प्रयोजित समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु संस्थानिक देख–भाल की अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैरसंस्थानिक देख–भाल के अंतर्गत दत्तकग्रहण प्रयोजन इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु SCPS द्वारा निम्नांकित संविदा आधारित पदों पर ON-Line आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जिसकी विस्तृत जानकारी* www.socialwelfare.bih.nic.in *पर उपलब्ध है।*

क.सं.	पदनाम	संख्या	कोटि
1	लेखा अधिकारी	1	सामान्य
2	लेखाकार	1	सामान्य
3	लेखा सहायक	1	सामान्य
4	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला
5	परामर्शी	1	अनुसूचित जाति महिला
6	डाटा एनालिस्ट	5	सामान्य 2, अनुसूचित जाति महिला–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–1,
7	समाजिक कार्यकर्ता	2	सामान्य–1, अनुसूचित जाति–1
8	आउटरिच वर्कर	2	पिछड़ा वर्ग महिला–2,
9	परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर / बाल कल्याण अधिकारी	11	सामान्य–2, सामान्य महिला–2, पिछड़ा वर्ग–1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–2, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अनुसूचित जाति–1, पिछड़ा वर्ग महिला–1
10	परामर्शी (गृह)	16	सामान्य–5, सामान्य महिला–2, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अनुसूचित जाति–2, पिछड़ा वर्ग–2, अत्यन्त पिछड़े वर्ग की महिला–2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1, पिछड़े वर्ग की महिला–1
11	हाउसफादर	10	सामान्य–2, सामान्य महिला–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–2, अनुसूचित जाति–1, पिछड़ा वर्ग–1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–1, अनुसूचित जाति महिला–1
12	हाउसमदर (सिर्फ महिला)	8	सामान्य–3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–2, अनुसूचित जाति–1, पिछड़ा वर्ग–1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1
13	पारा मेडिकल स्टॉफ	18	सामान्य–3, समान्य वर्ग महिला–2, अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जाति महिला–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला–2, पिछड़ा वर्ग–2, पिछड़ा वर्ग की महिला–2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1
14	नर्स(विशेष इकाई)	1	अनुसूचित जाति–1
15	केयर टेकर– सह– वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर (विशेष इकाई)	1	अनुसूचित जाति–1

2. **आरक्षण**:–राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का पालन किया जायेगा।

3. **उम्र सीमा**:–न्यूनतम आयु दिनांक–01.10.2019 को 18 वर्ष एवं अधिकत्तम उम्र दिनांक–01.10.2019 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. **नियोजन अवधि**:–मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद पर संविदा आधारित होंगें जिन्हें संतोषजनक कार्य अथवा योजना के निरंतरता के आलोक में विस्तारित किया जायेगा।

5. **चयन प्रक्रिया**:–पदवार निर्धारित योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए अंको के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत विवरणी www.socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध होगा।

6. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और ना ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. पदों के लिए आवश्यक योग्यता अनुभव, आरक्षण मासिक मानदेय एवं कार्य एवं भूमिका तथा अन्य आवश्यक सूचना www.socialwelfare.bih.nic.in वेब–साइट पर उपलब्ध है।

8. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधी सभी अधिकार राज्य बाल संरक्षण समिति के अधीन है। राज्य बाल संरक्षण समिति विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।

9. www.socialwelfare.bih.nic.in पर नियोजन से संबंधी Link उपलब्ध है। Log-in करके अभ्यर्थी सर्वप्रथम Registration करेंगें। Registration की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी के मोबाईल एवं ई–मेल पर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।

10. ऑनलाईन आवेदन दिनांक–01.11.2019 से प्रारंभ होगा तथा आवेदन दिनांक–21.11.2019 के अपराह्न 11.59 बजे तक स्वीकार होगें।

11. राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा पूर्व में नियोजन किए गए पदों के रिक्त स्थान पर नियोजन कर रही है। साथ ही नये स्वीकृत पद भी शामिल है। पूर्व का प्रतीक्षा सूची को समाप्त कर दिया गया है।

12. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

13. सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन होने के उपरांत प्रत्येक पद के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी को रखा जायेगा तथा पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अगले 03 वर्ष तक नियोजन किया जायेगा।

14 आवेदन केवल ऑन–लाईन स्वीकार किये जायेंगें। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

(राज कुमार)
निदेशक, समाज कल्याण–सह–
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

बिहार सरकार
राज्य बाल संरक्षण समिति, समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग

नियोजन मार्गदर्शिका

समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों के विभिन्न संविदा आधारित पदों के लिए नियोजन हेतु निम्नवत् रूप से मार्गदर्शिका तैयार की गयी है:–

1. **परिभाषाएँ**–इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :–
   - राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार
   - विभाग से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग, बिहार
   - पदों से अभिप्रेत है कंडिका–2 में उल्लेखित पद
   - अध्यक्ष से अभिप्रेत है। अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति–सह–अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना द्वारा अधिसूचित एवं पदभारित किया जाय।
   - नियोजन प्राधिकार से अभिप्रेत है। अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति–सह–अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना

2. **पद**– **(i)** समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गृहों में संविदा आधारित निम्न पद होंगें।

लेखा अधिकारी	परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर / बाल कल्याण अधिकारी
लेखाकार	परामर्शी (गृह)
लेखा सहायक	हाउसफादर
विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	हाउसमदर (सिर्फ महिला)
परामर्शी	पारा मेडिकल स्टॉफ
डाटा एनालिस्ट	नर्स (विशेष इकाई)
सामाजिक कार्यकर्ता	केयर टेकर–सह–वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर (विशेष इकाई)
आउटरिच वर्कर	

(ii) राज्य सरकार उपरोक्त पदों की स्वीकृति संख्या को समय समय पर घटा या बढ़ा सकेंगी।

(iii) मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता को योग्यता के रूप में मान्यता दी जायेगी।

3. **उम्र सीमा**– उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु दिनांक–01.10.2019 को 18 वर्ष एवं अधिकत्तम उम्र दिनांक–01.10.2019 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. **आरक्षण**– इन नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय समय पर निर्गत अद्यतन आरक्षण के प्रावधान (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होंगें। 2

5. **न्यूनतम** शैक्षणिक अर्हता एवं नियोजन में अधिमानता उपर्युक्त कंडिका–2 में उल्लेखित पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं नियोजन में अधिमानता का विवरण निम्नवत् होगा।

क. सं.	पद का नाम	इकाई	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित	अनुभव	चयन/पैनल निर्माण का आधार (कुल 100 अंक)	नियत मानदेय
1.	लेखा अधिकारी	राज्य बाल संरक्षण समिति (मुख्यालय)	एम0बी0ए0 (फाईनांस)/ एम0कॉम0/ बी0कॉम(प्रतिष्ठा)+ सी0ए0 (इण्टर) बेसिक नॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साथ में टैली अनिवार्य	सरकारी क्षेत्र में अनुभव	न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य अनुभव	एम0बी0ए0 (फाईनांस)/ एम0कॉम0/ बी0कॉम में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	32,704/–
2.	लेखाकार	राज्य बाल संरक्षण समिति (मुख्यालय)	बी0कॉम0	नॉलेज ऑफ टैली	न्यूनतम 02 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव	बी0कॉम में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	24,304/–
3.	लेखा सहायक	राज्य बाल संरक्षण समिति (मुख्यालय)	बी0कॉम	कम्प्यूटर में एम0एस0 ऑफिस में काम करने का ज्ञान	न्यूनतम 02 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव	बी0 कॉम में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत+ न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	20,160/–
4.	विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी	जिला बाल संरक्षण इकाई	विधि/ समाज कार्य में स्नातक अथवा किसी भी विषय में स्नातक + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा प्रतिष्ठित संस्थान से चाईल्ड प्रोटेक्शन/ काउन्सिलिंग/ क्रिमीनोलॉजी में पी0जी0 डिप्लोमा /डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट प्राप्त	बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी।	जूवेनाईल जस्टिस या बच्चों को लीगल एड उपलब्ध कराने के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य करने का अनुभव।	स्नातक में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	24,304/–
5.	परामर्शी	जिला बाल संरक्षण इकाई	मनोविज्ञान/ समाज कार्य/ समाज शास्त्र में स्नातक अथवा किसी भी विषय में स्नातक + किसी मान्यता प्राप्त	बच्चों के मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान	न्यूनतम 02 वर्ष का चाईल्ड डेवलपमेंट या काउन्सिलग क्षेत्र में कार्य करने का	स्नातक में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	20,160/–

			विश्वविद्यालय अथवा प्रतिष्ठित संस्थान से चाईल्ड प्रोटेक्शन में डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट प्राप्त		अनुभव		
6.	डाटा एनालिस्ट	जिला बाल संरक्षण इकाई	किसी भी विषय में स्नातक सांख्यिकी/ गणित/ प्योर साईंस/ समाज शास्त्र में स्नातक को प्राथमिकता एम0एस0 एक्सल का अच्छा ज्ञान		ऑकड़ों के विश्लेषण एवं दस्तावेजीकरण में एक वर्ष का कार्य अनुभव	स्नातक में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से प्रति अतिरिक्त वर्ष कार्य अनुभव का 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	20,160/–
7.	सामाजिक कार्यकर्ता	जिला बाल संरक्षण इकाई	समाज कार्य/समाज शास्त्र/ मनोविज्ञान में स्नातक	देख–रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों या विधि विवादित बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव	न्यूनतम 02 वर्ष का चाईल्ड डेवलपमेंट / चाईल्ड काउन्सिलिंग/जुवेनाईल जस्टिस सिस्टम में कार्य करने का अनुभव	स्नातक में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	20,160/–
8.	आउटरीच वर्कर	जिला बाल संरक्षण इकाई	इण्टर(10+2) या समकक्ष		अनुभव अनिवार्य नहीं।	इण्टर में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + कार्य अनुभव का प्रतिवर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	12,000/–
9.	परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर/ बाल कल्याण अधिकारी	बाल देख–रेख संस्थान	समाज कार्य/ मनोविज्ञान/ समाज शास्त्र में स्नातक अथवा किसी भी विषय में स्नातक + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा प्रतिष्ठित संस्थान से चाईल्ड प्रोटेक्शन/ काउन्सिलिंग/चाईल्ड डेवलपमेंट में डिप्लोमा/पी.जी.	02 वर्षो का चाईल्ड डेवलपमेंट /चाईल्ड प्रोटेक्शन में कार्य करने का अनुभव एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान	न्यूनतम 02 वर्ष का जूवेनाईल जस्टिस सिस्टम या कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव	स्नातक में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	20,160/–

			डिप्लोमा / सर्टिफिकेट प्राप्त				
10.	परामर्शी	बाल देख–रेख संस्थान	मनोविज्ञान / समाज कार्य / समाज शास्त्र में स्नातक अथवा किसी भी विषय में स्नातक + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा प्रतिष्ठित संस्थान से चाईल्ड डेवलपमेंट / चाईल्ड प्रोटेक्शन / काउन्सिलिंग में डिप्लोमा / पी0जी0 डिप्लोमा / सर्टिफिकेट प्राप्त	बाल देख–रेख संस्थान या कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ काम करने का अनुभव एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान	न्यूनतम 02 वर्षों का बाल विकास या बाल संरक्षण में कार्य करने का अनुभव	स्नातक में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	20,160 / –
11.	हाउसफादर	बाल देख–रेख संस्थान	इण्टर(10+2) अथवा समकक्ष	चयनित कर्मी को बाल देख–भाल संस्थान में ही रहना होगा।	न्यूनतम 02 वर्षों का कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव	इण्टर में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	20,160 / –
12	हाउसमदर (केवल महिला)	बाल देख–रेख संस्थान	इण्टर(10+2) अथवा समकक्ष	चयनित कर्मी को बाल देख–भाल संस्थान में ही रहना होगा।	न्यूनतम 02 वर्ष का कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव	इण्टर में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	20,160 / –
13.	पारामेडिकल	बाल देख–रेख संस्थान	किसी विषय में स्नातक	चयनित कर्मी को बाल देख–भाल संस्थान में ही रहना होगा।	राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय स्तर के एजेन्सी द्वारा	स्नातक में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	14,507 / –

					संचालित परियोजना में न्यूनतम 6 माह का पारा मेडिकल स्टॉफ के रूप में कार्य करने का अनुभव।		
14.	नर्स	विशेष इकाई (बाल देख–रेख संस्थान)	बिहार राज्य नर्सिंग काउन्सिल या केन्द्र सरकार अथवा किसी भी अन्य राज्य सरकार के नर्सिंग काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त दो वर्षीय ए.एन.एम. (नर्सिंग) कोर्स उत्तीर्ण	अस्पताल / स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव। दिव्यांग / मानसिक दिव्यांग / एच.आई.वी. + बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव	न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव	डिप्लोमा इन नर्सिंग में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	14,507/–
15.	केयरटेकर–सह–वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर	विशेष इकाई (बाल देख–रेख संस्थान)	मैट्रिकुलेशन एवं एन.सी.भी.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी एक वोकेशनल ट्रेड (टेलरिंग, हस्तशिल्प, मोबाईल रिपेयरिंग, बेसिक कम्प्यूटर, डाटा इन्ट्री आदि) में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त।	01 वर्ष का किसी संस्थान में व्यवसायिक प्रशिक्षक / अनुदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव	न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव	मैट्रिकुलेशन में प्राप्त अंकों का 80 प्रतिशत + न्यूनतम कार्य अनुभव से अतिरिक्त अनुभव का प्रति अतिरिक्त वर्ष 05 अंक (अधिकतम 20 अंक तक)	10,000/–

चयन हेतु अंक निर्धारण प्रणालीः– मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर उपरोक्त निर्धारित वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता हैः–

यदि किसी अभ्यर्थी का मैट्रिक/इंटर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स/स्नातक/स्नात्तकोत्तर में 70 प्रतिशत अंक एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् दो वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में वेटेज (70x80/100=56 अंक, एवं दो वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए (2x5=10 अंक, देय होगा)। इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में उसे कुल वेटेज–(56+10) अर्थात 66 अंक दिया जायेगा।

6. चयन की प्रकिया–(1) आवेदकों से ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त किए जायेंगें। इसके लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा। विभिन्न पदों के लिए पात्रता होने पर अलग–अलग आवेदन करना होगा। आवेदन फीस की अवधारणा विभाग आवश्यकतानुसार कर सकेगा।

(2) मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

(3) यह चयन प्रारम्भ में एक साल के लिए किया जायेगा तथा आवश्यकता होने पर इसका अवधि विस्तार परियोजन अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए किया जायेगा।

(4) संबंधित पदों के चयन के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति सक्षम स्तर पर अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग,	अध्यक्ष
2. निदेशक, समाज कल्याण–सह–उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,	सदस्य
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार के प्रतिनिधि–	सदस्य
4. सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग के प्रतिनिधि–	सदस्य
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि–	सदस्य

7. नियोजन की शर्तें

मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और न ही सरकारी सेवकों अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमतीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

चयनित कर्मियों का हटाने का अधिकार अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति के पास होगा।

नियोजित कर्मियों के संबंध में राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना द्वारा निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में कर्मियों को आकस्मिक अवकाश एवं अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी।

8. योगदान एवं प्रशिक्षण– सफल चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के उपरांत प्रशिक्षण जिला/राज्य स्तर पर दिया जायेगा।

9. **पैनल–** प्रत्येक पद में मेरिट सूची के पश्चात् कोटिवार अलग–अलग पर्याप्त संख्या में प्रतीक्षा सूची रखे जायेंगे ताकि आवश्यकतानुसार रिक्ति होने पर इनका नियोजन किया जा सके।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड,
पटना–800023, बिहार।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन

राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS) *अंतर्गत पटना, बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वासान हेतु केन्द्र प्रयोजित समेकित बाल संरक्षण योजना* (ICPS) *का कियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु संस्थानिक देख–भाल की अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैरसंस्थानिक देख–भाल के अंतर्गत दत्तकग्रहण प्रयोजन इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कार्यकमों का संचालन किया जा रहा है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु* SCPS *द्वारा निम्नांकित संविदा आधारित पदों पर* ON-Line *आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जिसकी विस्तृत जानकारी* www.socialwelfare.bih.nic.in *पर उपलब्ध है।*

क. सं.	पदनाम	संख्या	कोटि
1	लेखा अधिकारी	1	सामान्य
2	लेखाकार	1	सामान्य
3	लेखा सहायक	1	सामान्य
4	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला
5	परामर्शी	1	अनुसूचित जाति महिला
6	डाटा एनालिस्ट	5	सामान्य 2, अनुसूचित जाति महिला–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–1,
7	समाजिक कार्यकर्ता	2	सामान्य–1, अनुसूचित जाति–1
8	आउटरिच वर्कर	2	पिछड़ा वर्ग महिला–2,
9	परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर / बाल कल्याण अधिकारी	11	सामान्य–2, सामान्य महिला–2, पिछड़ा वर्ग–1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–2, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अनुसूचित जाति–1, पिछड़ा वर्ग महिला–1
10	परामर्शी (गृह)	16	सामान्य–5, सामान्य महिला–2, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–1, अनुसूचित जाति–2, पिछड़ा वर्ग–2, अत्यन्त पिछड़े वर्ग की महिला–2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1, पिछड़े वर्ग की महिला–1
11	हाउसफादर	10	सामान्य–2, सामान्य महिला–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–2, अनुसूचित जाति–1, पिछड़ा वर्ग–1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला–1, अनुसूचित जाति महिला–1
12	हाउसमदर (सिर्फ महिला)	8	सामान्य–3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–2, अनुसूचित जाति–1, पिछड़ा वर्ग–1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1

13	पारा मेडिकल स्टॉफ	18	सामान्य–3, समान्य वर्ग महिला–2, अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जाति महिला–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला–2, पिछड़ा वर्ग–2, पिछड़ा वर्ग की महिला–2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1
14	नर्स(विशेष इकाई)	1	अनुसूचित जाति–1
15	केयर टेकर–सह– वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर (विशेष इकाई)	1	अनुसूचित जाति–1

2. **आरक्षणः**–राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का पालन किया जायेगा।

3. **उम्र सीमाः**–न्यूनतम आयु दिनांक–01.10.2019 को 18 वर्ष एवं अधिकत्तम उम्र दिनांक–01.10.2019 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. **नियोजन अवधिः**–मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद पर संविदा आधारित होंगें जिन्हें संतोषजनक कार्य अथवा योजना के निरंतरता के आलोक में विस्तारित किया जायेगा।

5. **चयन प्रकियाः**–पदवार निर्धारित योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक तथा न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए अंको के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत विवरणी www.socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध होगा।

6. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और ना ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. पदों के लिए आवश्यक योग्यता अनुभव, आरक्षण मासिक मानदेय एवं कार्य एवं भूमिका तथा अन्य आवश्यक सूचना www.socialwelfare.bih.nic.in वेब–साइट पर उपलब्ध है।

8. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधी सभी अधिकार राज्य बाल संरक्षण समिति के अधीन है। राज्य बाल संरक्षण समिति विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।

9. www.socialwelfare.bih.nic.in पर नियोजन से संबंधी Link उपलब्ध है। Log-in करके अभ्यर्थी सर्वप्रथम Registration करेंगें। Registration की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी के मोबाईल एवं ई–मेल पर आई०डी० एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।

10. ऑनलाईन आवेदन दिनांक–01.11.2019 से प्रारंभ होगा तथा आवेदन दिनांक–21.11.2019 के अपराह्न 11.59 बजे तक स्वीकार होगें।

11. राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा पूर्व में नियोजन किए गए पदों के रिक्त स्थान पर नियोजन कर रही है। साथ ही नये स्वीकृत पद भी शामिल है। पूर्व का प्रतीक्षा सूची को समाप्त कर दिया गया है।

12. सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

13. सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थी का नियोजन होने के उपरांत प्रत्येक पद के लिएँ राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी को रखा जायेगा तथा पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से अगले 03 वर्ष तक नियोजन किया जायेगा।

14 आवेदन केवल ऑन–लाईन स्वीकार किये जायेंगें। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

(राज कुमार)

निदेशक, समाज कल्याण–सह–
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।